मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2004 (फाल्गुन 15, 1925)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्री रामलखन शर्मा, डॉ. सुनीलम् एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिजली संकट से छात्रों को परीक्षा देने में हो रही परेशानी की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 44 प्रश्नों के उत्तर तथा 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं गंभीर बिजली संकट पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह में आ गए एवं नारेबाजी करने लगे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन 25 सूचनाएं आज दिनांक 05.3.2004 को सदन में लिये जाने की मैंने अनुज्ञा प्रदान की है नियम 267-क (2) को शिथल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएगी और उन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

अब मैं सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा।

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की देवास जिले के हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड उद्योग के श्रमिकों को वेतन न मिलने से भुखमरी की स्थिति निर्मित होने,

(18) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य की रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी होने,

(19) श्री जयंत मलैया, सदस्य की वर्ष 2003-2004 में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा गेहूं की खरीदी में गड़बड़ी की जाने,

(20) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य की ग्वालियर नगर की म.प्र. हाउसिंग बोर्ड की कालोनी दीनदयाल नगर में पेयजल संकट होने,

(21) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य की दतिया जिले के संविदा शिक्षकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति,

(22) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के शिक्षा कर्मी वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की सूची जारी न किये जाने,

(23) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया, सदस्य की लोक निर्माण विभाग संभाग सागर अंतर्गत घनोट-बेलई-भानगढ़ मार्ग का प्राक्कलन स्वीकृत न किये जाने,

(24) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की जिला रीवा के तहसील सिरमोर अंतर्गत ग्राम गुढ़वा- सुजवार में पशु चिकित्सालय न होने, तथा

(25) श्री लाखन सिंह बघेल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की जिला रीवा विकासखण्ड हनुमना में विभिन्न मदों में आवंटित राशि का दुरूपयोग किये जाने,

संबंधी सून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 पटल पर रखी.

4. महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के जुलाई-अगस्त 2003सत्र में पारित मध्यप्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना (इंदौर) विधेयक 2003 (क्रमांक 35 सन् 2003) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई है।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं गंभीर बिजली संकट पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 48 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सुश्री कुसुम सिंह, श्री काशीप्रसाद बागरी, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम हथकुरी में एक परिवार के सदस्यों की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(2) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ क्षेत्र में मोटर साइकिलें लूटने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(4) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की शहडोल नगर स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में एक छात्र की मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र बिरसिंहपुर में विद्युत उत्पादन के लिये कोयला ढुलाई का अधिक भुगतान किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री वक्तव्य।

(6) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिला रोगी कल्याण निधि की राशि का दुरुपयोग होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(7) सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के तवा एवं नर्मदा नदी से रेत के ठेके दिये जाने में अनियमितता संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में घोषित विद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य।

(9) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम मेढ़ोली में एन.सी.एल. परियोजना जयन्त के सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की हरदा जिले के टिमरनी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में रासायनिक खाद की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य की डबरा शुगर मिल द्वारा सेवढ़ा क्षेत्र के कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की प्रदेश की सीमाओं पर स्थित बैरियर नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले में फसल बीमा की राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में सिंचाई हेतु बिजली न मिलने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री राजेश पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के बाड़ी एवं पारतलाई क्षेत्र में पत्थरों के अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की टीकमगढ़ स्थित राज्य परिवहन निगम द्वारा बसें बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री राजेश पटेल, सदस्य की रतलाम जिले में राजस्थान परिवहन निगम की बस में लूट-पाट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी जनपद पंचायत अन्तर्गत शिक्षकों को वेतन न मिलने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य।

(20) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले के मुरार क्षेत्र में हैण्डपंप खराब होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहपुर अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र को बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री राजेश पटेल, सदस्य की भोपाल स्थित बाल संप्रेषण गृह जहांगीराबाद से बंदी किशोरी गायब होने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र में ओला वृष्टि से फसलें नष्ट होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के हिनौती में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य की पोहरी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(26) डॉ. सुनीलम्, श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य की छतरपुर जिले के गौरीहार जनपद अध्यक्ष की दोनों आंखें निकाली जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(27) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में पोषण आहार के तहत स्वादहीन पंजीरी का वितरण होने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले में घोषित समयानुसार बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले में सिंचाई नलकूप बंद होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री जल संसाधन का वक्तव्य।

(30) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, श्री मोती कश्यप, सदस्य की प्रदेश के कुष्ठ कर्मियों की सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले के उटीला क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील अंतर्गत कृषकों को ज्वार मक्का का समर्थन मूल्य न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की शिवपुरी जिले के दतिया निवासी ग्रामीणों का डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(34) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले की सावनेर शुगर मिल द्वारा कृषकों से शेयर की राशि ली जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य की रीवा नगर में पेयजल पाईप जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र में जंगली गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम किसरौली में एक महिला के साथ बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(38) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के प्रभावितों को पुनर्वास की सुविधा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री राजेश पटेल, सदस्य की विदिशा जिले की बेतवा नदी में सोम डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(40) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई राशि से किताबों एवं उपकरणों की खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(41) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य की झाबुआ जिले के अलीराजपुर में एक दुकानदार के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(42) सर्वश्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), गिरीश गौतम, नारायण त्रिपाठी, सदस्य की रीवा शहर स्थित नदी नालों पर अवैध भवनों का निर्माण होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में एक व्यक्ति पर प्राण घातक हमला होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम धामनी से तीन व्यक्तियों का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(45) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम रही के पुरा में एक आदिवासी परिवार पर हमला होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(46) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के रघुनाथगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोलियो की दवा पिलाने से दो बच्चियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की नगरपालिक निगम सिंगरौली में निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(48) कुंवर विजय शाह, श्री गिरीश गौतम, सदस्य की कटनी पुलिस द्वारा पकड़े गये ठग गिरोह के सरगना के विरुद्ध जांच कराई जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

6. याचिका की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

श्री हमीद काजी, सदस्य की सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर के श्रमिकों के वेतन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान कराये जाने संबंधी याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं गंभीर बिजली संकट पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

7. वर्ष 2003-2004 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अब, अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी. सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है. अतः मैं, वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च,2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,6,8, 10,11,12,14,17,23,25,27,35,36,41,44,45,47,48,51,56,58,61,64,65,66,67,79,80,81 तथा 94 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार सौ अड़तालीस करोड़, सड़सठ लाख, चौबीस हजार चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं गंभीर बिजली संकट पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

9. वर्ष 2004-2005 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यह परम्परा रही है कि लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिये जाते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण बजट के आने पर चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है. मैं समझता हूं कि इसमें माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल अड़सठ सौ सैंतालीस करोड़, तिरेसठ लाख, सत्तानवे हजार रुपये की धनराशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें."

लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं गंभीर बिजली संकट पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, छत्रपति सिंह तथा
श्री रविन्द्र महाजन, सदस्य के नाम उनके अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने हेतु पुकारे गये परन्तु व्यवधान होने के कारण उनके अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नहीं हो सके)

11. राष्ट्रगान

सदन में "जन-गण-मन" का समूह गान हुआ.

12. सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

व्यवधान होने के कारण 11.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.